न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 98/2011

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. डूंगरराम पुत्र घेंवरराम
जातिः-जाट, निवासी-खराडी
तह.-जैतारण,जिला-पाली (राज.)

1. माधूराम पुत्र धीसाराम
जाति-जाट, निवासी-खराडी
तह.-जैतारण,जिला-पाली (राज.)
2. तहसीलदार, जैतारण
तह.-जैतारण,जिला-पाली (राज.)
3. प्रबन्धक, एम.जी.बी. शाखा-बलून्दा
तह-जैतारण,जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.28.08.2012

उपस्थितः- 1. श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 10/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-खराडी, पटवार मण्डल-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की शामलाती खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 976 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा आयी हुई हैं। इस भूमि मे वादी का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 1 कर भी 1/2 हिस्सा हैं। यह भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के सामलाती खातेदारी में दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस साथ पेश की हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि सामलाती खातेदार में पक्षकारन् के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हैं, जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाना आवश्यक हैं। सामलाती भूमि होने से वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि को काबिल काश्त कराने हेतु अलग से कुआ खुदवाने हेतु व अन्य कृषि कार्य प्रकार की कठिनाईयां व बाधा पैदा होती हैं। वादी ने उक्त कृषि भूमि के बंटवाडे हेतु प्रतिवादी सं. 1 दिनांक 06/05/2001 को कहा तो स्पष्ट ईन्कार हुआ इतना ही नही वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी दखलन्दाजी करने लगा और मना किया तो लडाई झगडा करने लगा किया तो ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हे तुम्हारे हिस्से की भूमि मे खडे पेड पौधे की कटाई करूगा। तब वादी के पास एक मात्र विकल्प वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। उक्त कृषि भूमि पर वादी ने बंटवाडा का वाद पेश किया हैं। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने अपने-अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 3 के यहां से ऋण लिया हैं। इस कारण से प्रतिवादी सं. 3 भी आवश्यक पक्षकार हैं विनाय दावा दिनांक 06/05/2011 को वादी ने उक्त भूमि के बंटवाडे के बाबत् प्रतिवादी सं. 1 को कहा तो स्पष्ट ईन्कार होने से व उक्त भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम-खराडी, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी ने वाद

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – डिगरना में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा–खराडी, पटवार मण्डल–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की शामलाती खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 976 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित हैं। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौंप कर करावें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 10/07/2015 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–खराडी, पटवार मण्डल–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की शामलाती खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 976 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	डूंगरराम पुत्र घेवरराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	976	4-09-00	बा0दो0	1.37 रू.
2	माधुराम पुत्र घीसाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	976/1	4-8-00	बा0दो0	1.37 रू.
	योग	2	8-17-00		2.74 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–डिगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. डूंगरराम पुत्र घेंवरराम
जातिः-जाट, निवासी-खराडी
तह.-जैतारण,जिला-पाली (राज.)

1. माधूराम पुत्र घीसाराम
जाति-जाट, निवासी-खराडी
तह.-जैतारण,जिला-पाली (राज.)
2. तहसीलदार, जैतारण
तह.-जैतारण,जिला-पाली (राज.)
3. प्रबन्धक, एम.जी.बी. शाखा-बलून्दा
तह-जैतारण,जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 98/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-खराडी, पटवार मण्डल-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की शामलाती खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 976 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	डूंगरराम पुत्र घेवरराम कौम-जाट सा0 देह खातेदार।	976	4-09-00	बा0दो0	1.37 रू.
2	माधुराम पुत्र घीसाराम कौम-जाट सा0 देह खातेदार।	976/1	4-8-00	बा0दो0	1.37 रू.
	योग	2	8-17-00		2.74 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्धई	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	02	00
फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मिजानः-	05	00

मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मुत्फरिक		
मिजानः-	01	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner